

प्र० ३९

(नियम-२७५ (२) देखे)
निशक्तता: पेन्शन हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. आयु तथा जन्म तिथि
3. रजीस्ट्रीकरण संख्या
4. प्रथम अभिदान के सदांय की तारीख और बैंक तथा शाखा का नाम
5. अन्तिम अभिदान राशि के सदांय की तारीख तथा शाखा
6. कुल अभिदान राशि
7. रोग/ दुर्घटना संबंधी विवरण
8. रोग/ दुर्घटना के कारण हुई निशक्तता की प्रकृति
9. सरकारी अस्पताल में रोगी के उपचार का विवरण (अस्पताल में दाखिले की तारीख और छुटटी की तारीख)
10. क्या रोगी के पलस्तर लगा था? यदि हाँ तो कितने दिनों के लिये?
11. उपचार के लिए व्यय की गई राशि, उपचार करने वाले (डाक्टर) चिकित्सक के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/ समर्थित चिकित्सा बिल होना चाहाइए।
12. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची
13. यदि इससे पूर्व कोई प्रसुविधा ली गयी है उसका विवरण
14. उपरोक्त उपचार के लिए यदि कोई सरकार अथवा किसी अन्य संस्थान से प्रसुविधा ली गई है उसका विवरण

उपरोक्त दी गई सूचना मेरी समझ व सूचना के अनुसार सही है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर